तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
	द्वारा वाद स्वीकार किया गया व प्राथमिक डिक्री जारी करने पर अपनी सहमती दी। वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय माफिक डिक्री फर्द अलग से जारी हो। निर्णय माफिक तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर पत्रावली दिनांक 11/04/19 को पेश हो। सहा... ...क्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	
11/4/19	तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 24/4/19 को पेश हो। सहा... ...क्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	
24/4/19	तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक 1/5/19 को पेश हो।	
1/5/19	वकुलाए पक्षकारान उप.। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण ने वाद को विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाने पर सहमती प्रदान की अत: वाद वादी का माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय लिखवाया जाकर शामिल मिसल की। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहा... ...एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	

Scanned by CamScanner

13–03–2019

न्यायालय हाजा में विचाराधिन प्रकरण संख्या 359/19 अनवान लीलाकवंर बनाम नारायणीदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 58 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत वादी अधिवक्ता श्री भवंर सिंह राठौड़ व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कि ओर से अधिवक्ता श्री करणी सिंह राठौड़ व व प्रतिवादी संख्या 03 ता 06 कि ओर से अधिवक्ता श्री सिकंदर घोषी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड में बंटवाड़ा करवाया जावें, पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि ग्राम खीचन पटवार क्षेत्र खीचन तहसील फलौदी के खसरा संख्या 420 रकबा 64.07 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें वादीनी का 1/30 हिस्सा अर्थात 02.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 का 402/1287 वां हिस्सा अर्थात 20.02 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अर्थात 21.09 बीघा, प्रतिवादी संख्या 3 का 70/1287 वां हिस्सा अर्थात 3.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/30 हिस्सा अर्थात 2.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 5 का 7/45 हिस्सा अर्थात 10 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 7/90 हिस्सा अर्थात 5 बीघा भूमि बंट में आती है। वादी वं प्रतिवादी अपने हिस्सेदारी की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में विभाजन करवाना चाहता है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

वाद वादी का प्राथमिक डिक्री किया जाता है ग्राम खीचन पटवार क्षेत्र खीचन तहसील फलौदी के खसरा संख्या 420 रकबा 64.07 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें वादीनी का 1/30 हिस्सा अर्थात 02.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 का 402/1287 वां हिस्सा अर्थात 20.02 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अर्थात 21.09 बीघा, प्रतिवादी संख्या 3 का 70/1287 वां हिस्सा अर्थात 3.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/30 हिस्सा अर्थात 2.03 बीघा, प्रतिवादी संख्या 5 का 7/45 हिस्सा अर्थात 10 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 7/90 हिस्सा अर्थात 5 बीघा भूमि बंट में आती है। वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सानुसार बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स में स्वीकार किया जाता है इसी अनुसार तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है कि बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स में बंटवाड़ा प्रस्ताव दो प्रतियो में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए दो प्रतियों में अलग–अलग कलर दर्शाते हुए नियम अनुसार पेश करें प्राथमिक डिक्री पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली वास्ते प्राप्त होने बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 11.04.2019 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 13–03–2019 को सरे इजलास मे सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

Scanned by CamScanner